

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-2998  
दिनांक 18 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

जलविद्युत क्षमता को समर्थन देने के लिए सीएफए योजना

†2998. श्रीमती कृति देवी देबबर्मन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) योजना के अंतर्गत 2032 तक लक्षित क्षमता वृद्धि के ब्यौरे सहित जलविद्युत क्षमता समर्थन हेतु केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) योजना की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सौभाग्य योजना के अंतर्गत वर्ष 2018 में सौ प्रतिशत ग्राम विद्युतीकरण की उपलब्धि के पश्चात प्रगति की समीक्षा की है और यदि हां, तो ऐसी समीक्षा के व्यापक परिणाम क्या हैं;

(ग) क्षेत्र के सभी आठ राज्यों को जोड़ने हेतु उत्तर पूर्व गैस ग्रिड के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार की नवीकरणीय ऊर्जा पहलों के अंतर्गत त्रिपुरा, मिजोरम एवं नागालैंड में हाल ही में शुरू की गई सौर और बायोमास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों द्वारा इक्विटी भागीदारी के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) स्कीम को विद्युत मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 08.10.2024 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2024-25 से वर्ष 2031-32 के लिए स्कीम का कुल परिव्यय ₹4,136 करोड़ है और इससे लगभग 15,000 मेगावाट की जलविद्युत क्षमता की सहायता करने की परिकल्पना की गई है। अब तक भारत सरकार ने हियो (240 मेगावाट), तातो-1 (186 मेगावाट) और तातो -II (700 मेगावाट) जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार के 24% इक्विटी शेयर के लिए सीएफए की राशि क्रमशः 130.43 करोड़ रुपये, 120.43 करोड़ रुपये और 436.13 करोड़ रुपये निर्धारित की है। हालांकि अभी तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

(ख) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश के सभी आबादी वाले गैर-विद्युतीकृत संगणना गांवों को 28 अप्रैल 2018 तक विद्युतीकृत कर दिया गया था। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के दौरान कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। डीडीयूजीजेवाई के तहत और उसके बाद प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत, सभी राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण 31 मार्च 2019 तक पूरा हो गया था। सौभाग्य के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया। दोनों योजनाएं दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी हैं।

संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत, भारत सरकार सौभाग्य के दौरान छूट गए घरों के ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों की सहायता कर रही है। अब तक, वितरण यूटिलिटीयों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर, 13,65,139 घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए 6,521.85 करोड़ रुपये की राशि के कार्यों को मंजूरी दी गई है। इसमें सौभाग्य के दौरान छूट गए घर, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति

आदिवासी न्याय महाअभियान) के तहत विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह (पीवीटीजी) से संबंधित घर, डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के तहत अनुसूचित जनजाति से संबंधित घर, प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के तहत अनुसूचित जाति से संबंधित घर और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों के घर, जहां भी व्यवहार्य पाया गया, शामिल हैं।

(ग) : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम राज्यों से गुजरने वाली 1688 किलोमीटर की कुल पाइपलाइन लंबाई के साथ दिनांक 17.11.2020 को उत्तर पूर्व गैस ग्रिड (एनईजीजी) परियोजना के लिए इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड को अधिकृत किया है। दिनांक 30.09.2025 तक, कुल 392 किलोमीटर पाइपलाइन कमीशन कर दी गई है।

(घ) : नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) पीएम जनमन और डीए जेजीयूए के तहत नई सौर ऊर्जा योजना (आदिवासी और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए) को कार्यान्वित कर रहा है। योजना के तहत आदिवासी और पीवीटीजी घरों, बहुउद्देशीय केन्द्रों और आदिवासी और पीवीटीजी क्षेत्रों में सार्वजनिक संस्थानों जहां ग्रिड से संबद्ध विद्युतीकरण तकनीकी-आर्थिक रूप से संभव नहीं है, को ऑफ-ग्रिड प्रणालियां (सोलर होम लाइटिंग प्रणालियां/सोलर मिनी ग्रिड) प्रदान की गई हैं। त्रिपुरा राज्य से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर एमएनआरई ने ऑफ-ग्रिड सौर पीवी प्रणालियों के माध्यम से विद्युतीकरण के लिए 1703 गैर-विद्युतीकृत पीवीटीजी घरों को मंजूरी दी है, जिनमें से दिनांक 30.11.2025 तक 1293 घरों का विद्युतीकरण कर दिया गया है।

एमएनआरई की "सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं" के विकास की योजना के तहत वर्ष 2022-23 के दौरान वंकल, मिजोरम में 20 मेगावाट क्षमता का एक सौर पार्क चालू किया गया है।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना जो एमएनआरई की एक प्रमुख योजना है, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड राज्यों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना मांग आधारित है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्राप्त मांग और दिखाई गई प्रगति के आधार पर क्षमताएं आवंटित की जाती हैं। लाभार्थियों के चयन और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) की है।

एसआईए द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 30.11.2025 तक त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड राज्य में पीएम-कुसुम के तहत भौतिक प्रगति निम्नानुसार है:

	घटक-क (नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्रों की क्षमता मेगावाट में)		घटक-ख (सौर पंपों की संख्या)		घटक-ग (ग्रिड से जुड़े पंपों की संख्या)	
	संस्वीकृत	संस्थापित	संस्वीकृत	संस्थापित	संस्वीकृत	सौरीकृत
त्रिपुरा	5	0	11,114	6,359	3,600	702
मिजोरम	0	0	1,700	40	0	0
नागालैंड	0	0	265	140	0	0

त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड राज्य में कोई बायोमास परियोजना शुरू नहीं की गई है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-3020  
दिनांक 18 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

सरकारी क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों में रिक्त पद

†3020. डॉ. शर्मिला सरकार:

श्री जगदीश चंद्रा बर्मा बसुनिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय के अधीन प्रत्येक सरकारी उपक्रम (पीएसयू) में कुल स्वीकृत पदों, भरे हुए पदों और रिक्त पदों की श्रेणी-वार और पद-वार संख्या कितनी है;

(ख) ये पद कितने समय से रिक्त हैं; और

(ग) वर्ष 2014 से अब तक इन सरकारी उपक्रमों में नियुक्त किए गए संविदा कर्मचारियों की वर्ष-वार और पीएसयू-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री  
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के तहत प्रत्येक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) में कुल स्वीकृत पदों, भरे हुए पदों और रिक्तियों से संबंधित स्थिति **अनुबंध-I** पर दी गई है।

(ख) : रिक्तियों का होना और उनका भरा जाना एक निरंतर प्रक्रिया है। सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता, इस्तीफे, बैक-लॉग, क्रमिक कमी एवं व्यवसाय और विभिन्न प्रचालनात्मक आवश्यकताओं आदि के कारण संख्या अलग-अलग रहती है।

(ग) : विद्युत मंत्रालय के तहत सीपीएसई में वर्ष 2014 से रखे गए संविदा कर्मचारियों की संख्या **अनुबंध-II** पर दी गई है।

सीपीएसई नाम	पद (श्रेणीवार)	कुल स्वीकृत	भरे हुए पद	रिक्तियां
एनटीपीसी	कुल	18,632	18,601	31
पीजीसीआईएल	कार्यपालक	5588	5247	341
	पर्यवेक्षक	2888	2734	154
	वर्कमेन	1543	1534	9
	कुल	10019	9515	504
पीएफसी #	कार्यपालक	672	607	-
आरईसी ##	कार्यपालक	812	575	21
	गैर-कार्यपालक	13	13	-
	कुल	825	588	21
एनएचपीसी	कार्यपालक	4211	3429	782
	पर्यवेक्षक	948	419	529
	वर्कमेन	577	837	-260
	कुल	5736	4685	1051
एसजेवीएन	कार्यपालक	1259	927	332
	पर्यवेक्षक	566	339	227
	वर्कमेन	879	282	597
	कुल	2704	1548	1156
टीएचडीसी	कुल	1772	1762	10
नीपको	कुल	1231	1326	-
ग्रिड-इंडिया	समूह क	626	579	47
	समूह ख	35	35	-
	समूह ग	5	5	-
	कुल	666	619	47

#पीएफसी में 672 संस्वीकृत पद हैं। वास्तविक जनशक्ति की भर्ती निगम की भविष्य की विस्तार योजनाओं और समग्र सीमा के भीतर इसकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के आधार पर की जाती है। अब तक की स्थिति के अनुसार कोई पद खाली नहीं है।

##संस्वीकृत संख्या के भीतर, संगठनात्मक आवश्यकता के आधार पर यथावश्यक, पदों का संचालन किया जा रहा है।

एमओपी के तहत सीपीएसई में 2014 से रखे गए संविदात्मक कर्मचारियों की संख्या

कैलेंडर वर्ष/ सीपीएसई का नाम	एनटीपीसी	पीजीसीआईएल #	पीएफसी	एनएचपीसी	एसजेवीएन	टीएचडीसी	नीपको	आरईसी@	ग्रिड- इंडिया
2014	शून्य	49	5	शून्य	शून्य	0	वर्ष 2014 में 47 वार्षिक नवीनीकरण अनुबंध पर रखे गए थे, जो वर्ष 2024 तक जारी रहा।	शून्य	शून्य
2015		244	0			0			
2016		164	45			2			
2017		218	10			0			
2018	1	266	9			1			
2019	18	76	26			1			
2020	39	113	0			1			
2021	76	123	42			1			
2022	138	190	0		275	86			
2023	416	56	0		314	144			
2024	191	559	24		34	13			
2025 (अभी तक)	202	124	43	22*	-	8	46 जारी		

#डेटा वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2025-26 तक वित्तीय वर्षवार है।

\*2025 से एनएचपीसी निश्चित अवधि आधार पर कर्मचारियों की भर्ती कर रहा है।

@आरईसी लिमिटेड में नियमित पदों पर संविदा के आधार पर कोई नियुक्ति नहीं की जाती है। हालांकि आरईसी लिमिटेड द्वारा परामर्शदाता आदि केवल एक निर्धारित अवधि के लिए आवश्यकतानुसार रखे गए हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-3022  
दिनांक 18 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय विद्युत निधि के अंतर्गत परियोजनाएं

3022. श्री देवेश शाक्य:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) के अंतर्गत वित्तीय सहायता और ब्याज राजसहायता के माध्यम से वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए एटा और कासगंज जिलों में अब तक कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त जिलों में राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) के अंतर्गत परियोजना-वार कितनी निधि का उपयोग किया गया है और यह निधि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार व्यय की गई है; और

(ग) क्या सरकार का राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) के माध्यम से इन जिलों में शेष जर्जर विद्युत लाइनों, ट्रांसफार्मरों और उप-स्टेशनों के उन्नयन हेतु किसी नई योजना का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री  
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : उत्तर प्रदेश राज्य ने राष्ट्रीय विद्युत निधि स्कीम (एनईएफ) में भाग नहीं लिया।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-3024  
दिनांक 18 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विद्युत क्षेत्र में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की भागीदारी

†3024. डॉ. मल्लू रवि:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) सहित विद्युत क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों (पीएसयू) में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) के सहयोग से तैयार की गई संशोधित पदोन्नति नीति और मूल्यांकन मानदंडों में गंभीर अनियमितताओं की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने इस संशोधित नीति की जांच की है और क्या इन पीएसयू के बोर्ड में सभी स्वतंत्र निदेशकों और सरकार द्वारा नामित निदेशकों ने इसे अपनाने हेतु सहमति दी है और यदि हां, तो इसके लिए क्या विधिवत प्रक्रिया अपनाई गई और इसके अनुमोदन का आधार क्या था;

(ग) क्या बीसीजी की नियुक्ति प्रतिस्पर्धी बोली के बिना की गई थी और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) मौजूदा समझौता ज्ञापन (एमओयू) और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित मूल्यांकन मानदंडों की अपेक्षा बीसीजी के मूल्यांकन मॉडल को प्राथमिकता देने, जिससे स्थापित मानदंडों की उपेक्षा हुई है, के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या मंत्रालय का अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पीएसयू में बीसीजी की सेवाएं लिए जाने और नीति निर्माण में उसकी भूमिका की समीक्षा करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) एवं (ख) : विद्युत मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई), जिनमें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) भी शामिल है, की पदोन्नति नीति में किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना नहीं है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, विद्युत मंत्रालय का एकमात्र सीपीएसई है, जिसने कंपनी की मानव संसाधन योजना सहित समग्र व्यावसायिक कार्यनीति के अध्ययन हेतु बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) की नियुक्ति की। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में पदोन्नति नीति में संशोधन किया गया तथा इसकी अंतिम रूपरेखा निदेशक मण्डल के साथ विस्तृत विचार-विमर्श एवं चर्चा के पश्चात निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप तैयार की गई।

(ग) एवं (घ) : कंपनी की समग्र व्यावसायिक रणनीति के अध्ययन हेतु बीसीजी का चयन जीईएम (जेम) पोर्टल पर आयोजित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया गया। लोक उद्यम विभाग (डीपीई) वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट से संबंधित मानकों का निर्धारण करता है जिनका पीएफसी द्वारा पूरी निष्ठा के साथ अनुपालन किया जाता है।

(ङ) : उपर्युक्त के आलोक में, प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-3071  
दिनांक 18 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

जलविद्युत क्षमता का विकास

3071. श्री दिलीप शङ्कीया:

श्रीमती कमलेश जांगड़े:

श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर-पूर्व के राज्यों में जल विद्युत क्षमता के विकास में सहायता के लिए कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस योजना से निवेश आसान होने और स्थानीय लोगों के लिए सीधे रोजगार के बड़े अवसरों के सृजन होने की संभावना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : सरकार ने छत्तीसगढ़, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश में जलविद्युत क्षमता के विकास को सहायता देने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं; यथा:

- i. बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक की क्षमता) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में घोषित करना।
- ii. जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के लिए सक्षम अवसंरचना अर्थात् सड़कें, पुल, रोपवे, रेलवे साइडिंग, संचार अवसंरचना और पावर हाउस से निकटतम पूलिंग पॉइंट तक पारेषण लाइन, जिसमें राज्य या केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी के पूलिंग सबस्टेशन का उन्नयन शामिल है, की लागत के लिए बजटीय सहायता।
- iii. बाढ़ नियंत्रण/भंडारण जलविद्युत परियोजनाओं हेतु बजटीय सहायता।
- iv. पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को राज्य संस्थाओं और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए उनकी इक्विटी भागीदारी के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)।



- v. एचईपी के लिए अंतर राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभारों की छूट।
- vi. भारत सरकार ने दिनांक 01.08.2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से, जल विद्युत उत्पादन स्टेशनों की पूंजीगत व्यय सीमा को संशोधित कर के ₹3,000 करोड़ कर दिया है, जिसके लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति की आवश्यकता है। तथापि, विकासकर्ता छूट प्राप्त श्रेणी के अंतर्गत एचईपी के लिए सीईए से तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।
- vii. केंद्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना दिनांक 27.09.2025 के माध्यम से, नवीकरणीय खपत दायित्व (आरसीओ) को निर्दिष्ट किया है जिसमें जलविद्युत ऊर्जा भी शामिल है।
- (ग) : राज्य सरकारों की भागीदारी के माध्यम से जलविद्युत परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने और उनकी बढ़ी हुई वित्तीय व्यवहार्यता के कारण जलविद्युत क्षेत्र में निवेश में वृद्धि के लिए उपर्युक्त उपायों की परिकल्पना की गई है।

जलविद्युत परियोजनाओं का विकास परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय रोजगार और विकासात्मक लाभ सुनिश्चित करता है। परियोजना निर्माण और प्रचालन चरणों के दौरान परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) सहित स्थानीय लोगों को संविदात्मक और सेवा-आधारित रोजगार देकर स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका सृजित करती है और जीवन स्तर बेहतर करती है। इसके अतिरिक्त, पीएएफ और स्थानीय निवासियों को उद्यमिता और निरंतर आजीविका सृजन को बढ़ावा देने के लिए विशेष बोली अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, केंद्रीय विद्युत क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, अवसंरचना विकास, कौशल विकास और आजीविका बढ़ोतरी को कवर करने वाले परियोजना क्षेत्रों में विकास गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला लागू करते हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-3075  
दिनांक 18 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

डिस्कॉम के बकाया ऋण और देयताएं

†3075. एडवोकेट अदूर प्रकाश:

डॉ. नामदेव किरसान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 30-10-25 की स्थिति के अनुसार वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के कुल बकाया ऋण और देयताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और डिस्कॉम-वार व्यवहार्यता की स्थिति क्या है;

(ग) कितनी डिस्कॉम ने घाटे में कमी लाने के लिए 'उदय' के लक्ष्यों को पूरा किया है; और

(घ) सरकार द्वारा डिस्कॉम के घाटे और राजस्व तथा लागत के बीच के अंतर को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : दिनांक 31.03.2025 तक की स्थिति अनुसार विद्युत खरीद के लिए बकाया ऋण और देयता राशि का राज्य-वार विवरण क्रमशः अनुबंध-I और II पर है। विद्युत खरीद के लिए देय राशि 132 दिनों के स्तर (वित्त वर्ष 24) से घटकर 120 दिनों के स्तर (वित्त वर्ष 25 (अनंतिम) हो गई है। इसके अतिरिक्त, उत्पादक कंपनियों (आईपीपी, सीपीएसई और नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ता) व्यापारियों और ट्रांसको का पुराना बकाया मार्च 2024 में 44,701 करोड़ रुपये से घटकर मार्च 2025 में 18,857 करोड़ रुपये हो गया है।

(ख) और (ग) : दक्षता में सुधार और वित्तीय पुनर्गठन के माध्यम से राज्य के स्वामित्व वाले डिस्कॉम के प्रचालन और वित्तीय बदलाव के समग्र उद्देश्य के साथ उदय योजना की शुरुआत की गई थी। यह

मानते हुए कि राज्य स्वामित्व वाली डिस्कॉम की देयताएं स्वयं राज्य की आकस्मिक देयताएं हैं, दिनांक 30.09.2015 के अनुसार डिस्कॉम के ऋण का 75% से अधिक का भार अपने ऊपर लेने वाले राज्यों को उदय योजना में शामिल किया गया है। उदय के तहत राज्यों और डिस्कॉमों की भागीदारी और अन्य दक्षता उपायों के परिणामस्वरूप, एटीएंडसी हानियां वित्त वर्ष 2016 में 23.70% से घटकर वित्त वर्ष 20 में 20.78% हो गईं। डिस्कॉम-वार लक्ष्य और एटीएंडसी हानि की उपलब्धि **अनुबंध-III** पर है।

**(घ) :** भारत सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से राज्य वितरण यूटिलिटी के निष्पादन के सुधार में उनकी सहायता कर रही है। वितरण यूटिलिटी की व्यवहार्यता में सुधार के लिए की गई कुछ प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

- संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से विद्युत की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से शुरू की गई थी। स्कीम के तहत अपने निष्पादन में सुधार के लिए आवश्यक उपाय करने वाले राज्यों/वितरण यूटिलिटी को निधियां जारी की जाती हैं।
- राज्य सरकारों को निष्पादन संबद्ध जीएसडीपी का 0.5% अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी गई है।
- राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को ऋण की मंजूरी के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड अनिवार्य किए गए हैं।
- ईंधन और विद्युत क्रय लागत समायोजन (एफपीपीसीए) और लागत प्रतिबिम्बित टैरिफ को लागू करने के लिए नियम बनाए गए हैं, ताकि विद्युत की आपूर्ति पर होने वाले सभी उचित व्यय टैरिफ में शामिल किए जा सकें।
- उचित सब्सिडी लेखांकन और उनके समय पर भुगतान के लिए जारी नियम और मानक संचालन प्रक्रिया।

राज्य/वितरण यूटिलिटी सुधारों को कार्यान्वित कर रही हैं तथा केंद्र और राज्य सरकारों/वितरण यूटिलिटी के बेहतर प्रयासों से राष्ट्रीय स्तर पर एटीएंडसी हानियां वित्त वर्ष 2021 में 21.9% से घटकर वित्त वर्ष 25 में 16.16% हो गई हैं तथा एसीएस-एआरआर अंतर वित्त वर्ष 21 में 0.69/केडबल्यूएच से घटकर वित्त वर्ष 25 में 0.11/ केडबल्यूएच हो गया है।

## राज्य-वार बकाया ऋण (करोड़ रुपये)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2024-25
आंध्र प्रदेश	77,600
असम	1,131
बिहार	14,002
छत्तीसगढ़	5,428
गुजरात	258
हरियाणा	20,311
हिमाचल प्रदेश	7,024
झारखंड	22,381
कर्नाटक	47,993
केरल	17,638
मध्य प्रदेश	49,239
महाराष्ट्र	90,659
मणिपुर	745
मेघालय	1,474
पंजाब	17,411
राजस्थान	98,488
तमिलनाडु	1,88,411*
तेलंगाना	59,230
त्रिपुरा	0
उत्तर प्रदेश	61,395
उत्तराखंड	1,729
पश्चिम बंगाल	15,279
निजी क्षेत्र	7,595
कुल	8,05,422

\*: डेटा में टेनजेडको (तमिलनाडु) के पिछले वर्ष के आंकड़े भी शामिल हैं, जिसे हाल ही में 3 कंपनियों में बांटा गया है, जिनमें से एक टीएनपीडीसीएल (तमिलनाडु की वितरण कंपनी) है। यदि सिर्फ टीएनपीडीसीएल के बकाया ऋण अर्थात् 1,01,782 करोड़ रुपये को ध्यान में रखें, तो राष्ट्रीय स्तर पर कुल बकाया ऋण 7,18,793 करोड़ रुपये होगा।

## विद्युत क्रय हेतु राज्य-वार देयताएं

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	देयताएं (दिन)	
	दिनांक 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार
आंध्र प्रदेश	105	105
असम	41	62
बिहार	109	97
छत्तीसगढ़	108	82
दिल्ली	277	389
गुजरात	3	4
हरियाणा	38	46
हिमाचल प्रदेश	71	80
झारखंड	420	384
कर्नाटक	177	152
केरल	95	69
मध्य प्रदेश	211	208
महाराष्ट्र	104	111
मणिपुर	76	74
मेघालय	212	193
ओडिशा	54	-
पंजाब	40	45
राजस्थान	63	51
तमिलनाडु	184	78
तेलंगाना	310	295
त्रिपुरा	94	-
उत्तर प्रदेश	153	156
उत्तराखंड	39	61
पश्चिम बंगाल	159	172
अखिल भारत	132	120

डिस्कॉम-वार एटीएंडसी हानि लक्ष्य और उपलब्धि

क्रम सं.	डिस्कॉम	समझौता जापनों के अनुसार उदय के अंतर्गत एटीएंडसी हानि लक्ष्य					उपलब्धि				
		15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20
1	अंडमान और निकोबार पीडी	18.61	18.42	16.84	15.50	15	-	-	30.28	23.43	23.34
2	एपीईपीडीसीएल	-	5.46	5.45	5.44	-	7.10	7.48	10.88	18.30	6.64
3	एपीएसपीडीसीएल	-	11.29	11.09	10.89	-	12.03	17.02	16.04	29.76	13.17
4	अरुणाचल पीडी	57.74	52.41	43	39	25	54.58	53.64	51.08	52.53	40.49
5	एपीडीसीएल	22.49	19	17.75	16.1	15	26.02	20.11	17.64	20.19	23.39
6	एनबीपीडीसीएल	40	34	28	20	15	35.73	37.85	30.46	26.97	28.94
7	एसबीपीडीसीएल	44	38	30	22	15	47.87	46.81	35.53	37.81	48.29
8	सीएसपीडीसीएल	21	18.93	18	15	-	22.10	23.87	20.74	24.96	18.46
9	डीएनएचपीडीसीएल	-	7.97	7.5	7	-	-	-	6.55	5.45	3.56
10	दमन एवं दीव पीडी	-	10.33	9.32	8.3	-	-	-	17.11	6.19	4.07
11	गोवा पीडी	21.06	18.75	16.59	15	-	19.77	24.33	10.48	17.61	11.41
12	डीजीवीसीएल	9.29	9.24	9.19	9.15	-	10.48	10.20	6.60	5.90	6.22
13	एमजीवीसीएल	16	15.5	15	14.5	-	11.81	11.24	11.73	10.38	11.30
14	पीजीवीसीएल	22	19.66	17.33	15	-	24.71	21.71	19.64	21.21	18.80
15	यूजीवीसीएल	9.82	9.77	9.72	9.67	-	11.53	9.17	9.32	12.01	6.88
16	डीएचबीवीएनएल	26.44	23.10	19.16	15.34	-	26.44	23.10	19.16	15.34	16.37
17	यूएचबीवीएनएल	31.61	25.94	21.64	15.01	-	32.84	30.68	25.38	22.04	20.83
18	एचपीएसईबीएल	13.85	13.5	13	12.75	-	9.68	11.48	11.08	12.46	13.33
19	जेकेपीडीडी	56	46	35	25	15	58.75	59.96	53.67	49.94	60.46
20	जेबीवीएनएल	35	28	22	15	-	33.34	40.83	44.72	28.33	37.13
21	बेसकॉम	16.76	12.94	14.61	14.36	14.08	13.88	14.91	13.17	15.79	17.91
22	चेसकॉम	16.2	15.16	14.74	14.5	-	13.60	19.31	13.20	19.91	21.65
23	गेसकॉम	20.65	17.75	16.67	15	-	18.00	17.86	16.39	27.38	17.87
24	हेसकॉम	18.1	17.68	17.02	15	-	27.63	18.35	22.84	24.88	15.31
25	मेसकॉम	12.99	12.55	11.79	11.7	-	12.71	19.47	14.23	18.12	15.33
26	केएसईबीएल	11.57	11.45	11.23	11	-	12.40	13.42	12.81	9.10	13.12
27	लक्षद्वीप ईडी	-	13.9	10.32	10	-	-	-	19.15	26.82	13.69
28	एमपीएमएकेवीवीसीएल	28.65	22.09	19.19	17.2	15	31.09	34.29	39.00	45.02	37.17
29	एमपीपीएकेवीवीसीएल	22.38	20.4	18.41	16.27	15	25.06	19.08	18.69	25.28	20.94
30	एमपीपीओकेवीवीसीएल	22.65	19.72	17.73	15.59	15	26.10	28.00	34.84	40.38	33.89
31	एमएसईडीसीएल	17.31	16.74	15.61	14.39	-	21.74	22.84	14.38	16.23	19.80
32	एमएसपीडीसीएल	44.2	25.15	18.7	15	-	31.72	33.01	27.46	25.26	23.30

33	एमईपीडीसीएल	36.5	32.51	27.5	21.5	15	45.98	38.81	41.19	35.22	31.67
34	मिजोरम पीडी	32.17	27.38	23.76	20.3	15	35.18	24.98	16.16	16.20	20.66
35	नागालैंड पीडी	-	70	39	32	24	33.44	38.50	41.36	65.73	64.79
36	पुद्दुचेरी पीडी	19.88	19	15	12	-	22.43	21.34	19.19	19.77	18.45
37	पीएसपीसीएल	16.16	15.30	14.50	14	-	15.88	14.46	17.31	11.28	14.35
38	एवीवीएनएल	24	20	17.5	15	-	27.66	25.19	23.14	23.37	22.08
39	जेडीवीवीएनएल	22.4	18	16.5	15	-	29.67	26.17	23.49	35.20	38.26
40	जेवीवीएनएल	28	22	18.5	15	-	35.87	29.79	25.19	25.73	27.83
41	सिक्किम पीडी	37.13	29.5	25.94	15	-	43.89	35.62	32.48	41.83	28.77
42	टेनजेडको	14.58	14.06	13.79	13.5	-	16.83	18.23	19.47	17.86	15.00
43	टीएसएनपीडीसीएल	-	11.90	10.95	10	-	17.41	16.19	24.74	28.63	35.26
44	टीएसएसपीडीसीएल	-	12.68	11.3	9.9	-	12.64	14.77	17.16	13.79	15.57
45	टीएसईसीएल	33.8	30	25	20	15	32.68	28.95	30.04	38.03	35.71
46	डीवीवीएनएल	35.94	30.3	24.83	20.44	15.35	43.13	40.62	38.89	37.12	39.75
47	केस्को	35.25	29.44	24.11	19.37	14.45	28.16	25.10	22.52	16.49	15.49
48	एमवीवीएनएल	33.13	27.8	23.2	19.45	14.89	44.58	47.27	45.29	40.62	34.14
49	पीएवीवीएनएल	24.63	22.99	20.63	17.53	14.01	27.12	29.73	25.97	22.27	18.64
50	पीयूवीवीएनएल	38.87	34.19	26.92	20.65	15.49	51.14	53.19	47.89	39.64	34.24
51	यूपीसीएल	17	16	15	14.5	-	18.01	16.68	16.34	17.45	20.35

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3077  
दिनांक 18 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

संस्थापित विद्युत क्षमता

†3077. श्री राव राजेन्द्र सिंह:  
श्री दिलेश्वर कामैत:  
श्री बाबू सिंह कुशवाहा:  
डॉ. संजय जायसवाल:  
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान संस्थापित विद्युत क्षमता की संरचना का ब्यौरा क्या है और नवीकरणीय और गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों का हिस्सा कितना है;

(ख) 500 गीगावॉट से अधिक संस्थापित विद्युत क्षमता प्राप्त करने में योगदान देने वाले कारक कौन-कौन से हैं और सीओपी-26, पंचामृत लक्ष्यों और दीर्घकालिक ऊर्जा परिवर्तन रूपरेखा के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं पर इसका प्रभाव कितना है;

(ग) परमाणु ऊर्जा जैसे स्वच्छ और सुरक्षित स्रोतों के माध्यम से भारत के ऊर्जा पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) परमाणु ऊर्जा के विस्तार और संवर्धन से देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और 2070 तक नेट-जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में किस प्रकार योगदान मिलने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री  
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : दिनांक 31.10.2025 तक, देश की कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता 5,05,023 मेगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें 2,45,600 मेगावाट जीवाश्म-ईंधन स्रोत और 2,59,423 मेगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोत (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 2,50,643 मेगावाट सहित) शामिल हैं। नवीकरणीय और गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी को दर्शाते हुए, देश की संस्थापित उत्पादन क्षमता की वर्तमान संरचना का विवरण अनुबंध पर है।

(ख) : भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की प्रतिबद्धता को साकार करने के लिए देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने और इसमें तेजी लाने के लिए कई कदम और पहल की हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) 30 जून 2025 तक शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की अंतर-राज्य बिक्री के लिए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए दिसंबर 2030 तक और अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए दिसंबर 2032 तक माफ कर दिया गया है।



- (ii) ग्रिड से जुड़ी सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड तथा फर्म एवं डिस्पैचबल आरई (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- (iii) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों (आरईआईए) द्वारा 50 गीगावाट/वर्ष की आरई विद्युत क्रय बोलियां जारी करने के लिए बोली ट्रेजेक्टरी जारी की है।
- (iv) स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- (v) नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम के तहत नई पारेषण लाइन बिछाने और नए सब-स्टेशन क्षमता निर्माण को वित्त पोषित किया गया है।
- (vi) आरई ट्रेजेक्टरी के लिए आवश्यक पारेषण अवसंरचना संवर्धन के लिए, वर्ष 2032 तक पारेषण योजना तैयार की गई है।
- (vii) बड़े पैमाने पर आरई परियोजनाओं की संस्थापना के लिए आरई विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण उपलब्ध कराने के लिए सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।
- (viii) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए), के तहत नई सौर ऊर्जा स्कीम (आदिवासी और पीवीटीजी आबादी/गांवों के लिए) राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम शुरू की गई हैं।
- (ix) आरई खपत को बढ़ावा देने के लिए, नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के बाद नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) ट्रेजेक्टरी को वर्ष 2029-30 तक अधिसूचित किया गया है। आरसीओ जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू होता है, की गैर-अनुपालना पर शास्तियां लगायी जाएंगी। आरसीओ में विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से खपत की विनिर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।
- (x) "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए कार्यनीति" जारी की गई है।
- (xi) सौर पीवी मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को लागू कर रही है।

भारत ने जून, 2025 में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी संस्थापित विद्युत क्षमता के 50% तक पहुंच कर अपनी ऊर्जा पारगमन यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है - जो पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) में निर्धारित लक्ष्य से पाँच वर्ष से पहले है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि जलवायु कार्रवाई और सतत विकास के लिए देश की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

भारत के दीर्घकालिक ऊर्जा पारगमन रोडमैप पर इस उपलब्धि का प्रभाव वर्ष 2070 तक नेट-जीरो की ओर अर्थव्यवस्था के ऊर्जा पारगमन के साथ-साथ वृद्धि और विकास सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण अविभाज्य प्राथमिकताओं के रूप में ऊर्जा सुरक्षा, सामर्थ्य और पहुंच को ध्यान में रखते हुए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है।

**(ग) और (घ) :** स्वच्छ और सुरक्षित स्रोतों के माध्यम से अपने ऊर्जा पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए भारत द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम नीचे दिए गए हैं:

1. परमाणु विद्युत में दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की विशाल क्षमता है और यह वर्ष 2070 तक नेट-जीरो की दिशा में भारत के स्वच्छ ऊर्जा पारगमन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बेस लोड विद्युत का एक

स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल स्रोत है। परमाणु विद्युत का पूरा कार्यकाल उत्सर्जन जलविद्युत और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के उत्सर्जन के तुलनीय है। भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु विद्युत क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। परमाणु ऊर्जा के माध्यम से भारत के ऊर्जा पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- i. वर्ष 2033 तक कम से कम पांच स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) को विकसित करने और उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ एक समर्पित परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया गया है।
  - ii. सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अधिकतम सीमा तक स्वदेशी संसाधनों के आधार पर भारत की परमाणु ऊर्जा की पूरी क्षमता का दोहन करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भारत के रूपान्तरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक, 2025 संसद में प्रस्तुत किया गया है।
  - iii. डीकार्बोनाइजेशन सहयोग करने के लिए भारत की प्रमाणित दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) प्रौद्योगिकी के आधार पर 220 मेगावाट क्षमता के भारत लघु रिएक्टर (बीएसआर) को औद्योगिक केंद्रों में तैनाती के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। बीएसआरसी रिटायर हो रहे कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के अन्य उद्देश्य से उपयोग तथा दूरस्थ क्षेत्रों में अनुप्रयोगों के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर भी विकसित कर रहा है।
  - iv. यूरैनियम की नई खोजों के माध्यम से भारत की ईंधन सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है, जिसमें एक महत्वपूर्ण खोज भी शामिल है जो जादूगुड़ा खदान की कार्य अवधि को 50 वर्षों से अधिक बढ़ा देगी। बंद ईंधन चक्र में प्रगति, जैसे प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्राप्त उपलब्धि, स्थिर ईंधन आपूर्ति को और सहायता देगी।
  - v. क्षमता वृद्धि में तेजी लाने के लिए, एनपीसीआईएल और एनटीपीसी ने मौजूदा कानूनी फ्रेमवर्क के भीतर परमाणु विद्युत संयंत्रों को विकसित करने के लिए संयुक्त उद्यम अश्विनी का गठन किया है।
2. भारत सरकार ने सितंबर 2023 में, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) के विकास के लिए एक व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (वीजीएफ) स्कीम को मंजूरी दी है। इस स्कीम के अंतर्गत 3,760 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ 13.22 जीडब्ल्यूएच की बीईएसएस क्षमता कार्यान्वित की जा रही है। बीईएसएस की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, विद्युत मंत्रालय ने जून 2025 में, विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) से 5,400 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के साथ 30 जीडब्ल्यूएच बीईएसएस क्षमता के विकास के लिए एक और वीजीएफ स्कीम को मंजूरी दी है।
3. विद्युत मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और ग्रिड स्थिरता को सहायता देने के लिए पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) को बढ़ावा देने के लिए एक नीति शुरू की है। वर्तमान में देश में कुल 11,870 मेगावाट की 10 पंप भंडारण परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।
4. अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए कार्यनीति जारी की गई है। एक गीगा-वाट की प्रारंभिक क्षमता के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता का दोहन करने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा।
5. ग्रीन हाइड्रोजन मिशन डीकार्बोनाइजेशन के लिए भारत के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देगा तथा रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर भी पैदा करेगा। मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कम से कम 5 एमएमटी प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन क्षमता स्थापित करना है।

## देश की संस्थापित उत्पादन क्षमता की वर्तमान संरचना का विवरण

दिनांक 31.10.2025 तक की स्थिति के अनुसार देश की संस्थापित उत्पादन क्षमता			
श्रेणी		संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)	कुल में % हिस्सा
जीवाश्म ईंधन	कोयला	2,18,258	
	लिग्नाइट	6,620	
	गैस	20,132	
	डीजल	589	
	कुल जीवाश्म ईंधन	2,45,600	48.6
गैर-जीवाश्म ईंधन	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत	2,50,643	49.6
	हाइड्रो (पीएसपी सहित)	50,348	
	पवन, सौर और अन्य आरई	2,00,295	
	पवन	53,600	
	सौर	1,29,924	
	बीएम विद्युत/सह-उत्पादन	10,757	
	अपशिष्ट से ऊर्जा	856	
	लघु हाइड्रो	5,159	
	न्यूक्लियर	8,780	1.74
	कुल गैर-जीवाश्म ईंधन	2,59,423	51.37
	कुल संस्थापित क्षमता	5,05,023	100.0%

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-3086  
दिनांक 18 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

बिजली सुरक्षा मानकों का अनुपालन

**3086. श्री सतपाल ब्रह्माचारी:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि सोनीपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के कई स्थानों पर बिजली सुरक्षा मानकों का अपर्याप्त पालन या पालन में कमी से दुर्घटनाओं और विद्युत खतरों का जोखिम पैदा हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त क्षेत्र में ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर, खराब तारों, खुले बिजली के खंभों और कम वोल्टेज वाली लाइनों की पहचान करने, उन्हें बदलने या अपग्रेड करने के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत निरीक्षण कार्यालय ने हाल ही में सोनीपत में कोई सुरक्षा ऑडिट, निरीक्षण या जागरूकता अभियान चलाया है; और

(घ) यदि हां, तो बिजली सुरक्षा को मजबूत करने, दुर्घटनाओं को रोकने, आधुनिक सुरक्षा उपकरण स्थापित करने और उपभोक्ताओं को बिजली के सुरक्षित उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**विद्युत राज्य मंत्री  
(श्री श्रीपाद नाईक)**

**(क) :** ऊर्जा विभाग, हरियाणा सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुरक्षा संबंधी खतरे पैदा करने वाले किसी विशिष्ट विद्युत संस्थापन की सूचना नहीं दी गई है।

**(ख) :** हरियाणा सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल) नियमित रूप से ओवरलोडेड वितरण ट्रांसफार्मरों की पहचान करता है और तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर उनके संवर्धन या अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की संस्थापना के लिए

आवश्यक उपाय करता है। वित्त वर्ष 2025-26 (अब तक) के दौरान, लगभग 750 वितरण ट्रांसफार्मरों को सोनीपत सर्कल में अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा, वितरण लाइनों में कमियों, जैसे कि घिसे-पिटे या सैगिंग कंडक्टर, पर नियमित रूप से ध्यान दिया जाता है।

(ग) : हरियाणा सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सोनीपत जिले में नियमित विद्युत सुरक्षा निगरानी जारी है और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत विद्युत सुरक्षा निरीक्षक द्वारा हाल की अवधि में अलग से कोई विशेष सुरक्षा लेखापरीक्षा या जागरूकता अभियान आयोजित नहीं किया गया।

तथापि, यूएचबीवीएनएल ने दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए वितरण ट्रांसफार्मरों की फेंसिंग का कार्य आरंभ किया है। इसके अलावा, उपभोक्ताओं को जनता दरबार के माध्यम से संवेदनशील बनाया जा रहा है और पैम्फलेट के माध्यम से जानकारी का प्रसार किया जा रहा है। इसके अलावा, केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाली विद्युत संस्थापनाओं जैसे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम) और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) का ससमय निरीक्षण किया जा रहा है।

(घ) : विद्युत सुरक्षा को सुदृढ़ करने, दुर्घटनाओं रोकथाम, आधुनिक सुरक्षा उपकरणों को तैनात करने और विद्युत के सुरक्षित उपयोग पर उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- I. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 (क) और 177 (2) (ख) के अनुसार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने विद्युत सुरक्षा, दुर्घटना रोकथाम और जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति विनियमों से संबंधित उपायों को अधिसूचित किया है।
- II. विद्युत सुरक्षा निरीक्षक जनता को विद्युत सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने के लिए सोनीपत सहित देश भर में नियमित आधार पर विद्युत सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-3092  
दिनांक 18 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

जीवाश्म ईंधन और अन्य स्रोतों से उत्पादित बिजली

†3092. श्री जगदम्बिका पाल:

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संस्थापित विद्युत क्षमता के संदर्भ में देश के वर्तमान ऊर्जा स्रोतों का ब्यौरा क्या है तथा महाराष्ट्र सहित देश में जीवाश्म ईंधन, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और अन्य गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से उत्पादित बिजली का अलग-अलग विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ख) सभी क्षेत्रों में वर्तमान में स्वीकृत या कार्यान्वयनाधीन प्रमुख विद्युत परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं और अगले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ऊर्जा भंडार किस प्रकार विकसित होने की संभावना है;

(ग) जलविद्युत और परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और ग्रिड स्थिरता को मजबूत करने और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में इन क्षेत्रों की परिकल्पित भूमिका का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत प्रस्तावित नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी समन्वय में नए जलविद्युत परिसंपत्तियों के विकास की व्यवहार्यता की जांच कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री  
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : देश में वर्तमान कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 5,05,023 मेगावाट है जिसमें जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 2,45,600 मेगावाट (48.63%) और गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 2,59,423 मेगावाट (51.37%) शामिल है। देश तथा महाराष्ट्र राज्य में स्रोतवार संस्थापित उत्पादन क्षमता और वित्त वर्ष 2024-25 तथा वित्त वर्ष 2025-26 (अक्टूबर, 2025 तक) के दौरान उत्पादित विद्युत का विवरण, उनके ऊर्जा मिश्रण को दर्शाते हुए, अनुबंध-1 पर दिया गया है।

(ख) : निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं, पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) और न्यूक्लियर विद्युत परियोजनाओं सहित जल विद्युत परियोजनाओं की सूची क्रमशः अनुबंध-II, अनुबंध-III और अनुबंध-IV पर दी गई है। इसके अलावा, 1,56,900 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता जिसमें 69,180 मेगावाट सौर, 29,650 मेगावाट पवन और 57,630 मेगावाट हाइब्रिड (पवन-सौर) शामिल है, निर्माणाधीन है।

सरकार का प्रमुख जोर गैर-जीवाश्म स्रोतों से क्षमता संवर्धन पर है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा मई, 2023 में जारी राष्ट्रीय विद्युत योजना (उत्पादन) के अनुसार, गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित संस्थापित क्षमता का हिस्सा वर्तमान स्तर 51.37% (अक्टूबर, 2025 तक) से बढ़कर वर्ष 2031-32 के अंत तक लगभग 68% होने की संभावना है।

(ग) : ग्रिड की स्थिरता को सुदृढ़ करने तथा देश में दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने जलविद्युत तथा परमाणु विद्युत उत्पादन के विकास को प्राथमिकता प्रदान की है।

इस संबंध में, देश में पंप भंडारण परियोजनाओं सहित जलविद्युत परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- (i) बड़े जल विद्युत (एलएचपी) (>25 मेगावाट की परियोजनाओं) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में घोषित करना।
- (ii) गैर-सौर नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) के अंतर्गत एक पृथक इकाई के रूप में जलविद्युत खरीद दायित्व (एचपीओ)।
- (iii) हाइड्रो पावर टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ युक्तिकरण उपाय।
- (iv) बाढ़ नियंत्रण/भंडारण जलविद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के लिए बजटीय सहायता।
- (v) सक्षम अवसंरचना अर्थात् सड़कें/पुल, आदि की लागत के लिए बजटीय सहायता।
- (vi) विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने दिनांक 10 अप्रैल, 2023 को देश में पंप भंडारण परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं।
- (vii) नई जलविद्युत परियोजनाओं जिनके लिए निर्माण कार्य अवार्ड कर दिया गया है तथा दिनांक 30.06.2025 को या उससे पहले विद्युत क्रय करार (पीपीए) हस्ताक्षरित हो गया है, उनसे प्राप्त होने वाली विद्युत के पारेषण पर आईएसटीएस शुल्क की छूट। तदुपरांत, जिन जलविद्युत परियोजनाओं के लिए निर्माण कार्य अवार्ड कद दिया गया हो तथा दिनांक 30.06.2028 तक विद्युत क्रय करार (पीपीए) हस्ताक्षरित हो गया हो, उनके लिए दिनांक 01.07.2025 से 01.07.2028 तक 25% के चरणों में आईएसटीएस प्रभारों में आंशिक छूट प्रदान की गई है।
- (viii) विद्युत मंत्रालय ने उन पंप भंडारण परियोजनाओं के लिए, जिनके लिए निर्माण कार्य 30.06.2028 को या उससे पहले अवार्ड किया गया है, आईएसटीएस प्रभारों में 100% छूट प्रदान करने की अवधि बढ़ा दी है।
- (ix) एमओपी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को राज्य संस्थाओं और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम (जेवी) सहयोग के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए उनकी इक्विटी भागीदारी के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) को मंजूरी दी है।

- (x) एमओपी ने सीईए द्वारा जलविद्युत उत्पादन स्टेशनों के लिए सहमति की आवश्यकता की सीमा को ₹1,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹3,000 करोड़ कर दिया है, और ऑफ-स्ट्रीम क्लोज्ड लूप पीएसपी को प्राधिकरण से सहमति की आवश्यकता से छूट दी है।

भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु विद्युत क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। देश में परमाणु उत्पादन के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- i. वर्ष 2033 तक कम से कम पांच स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) को विकसित करने और उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ एक समर्पित परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया गया है।
- ii. सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अधिकतम सीमा तक स्वदेशी संसाधनों के आधार पर भारत की परमाणु ऊर्जा की पूरी क्षमता का दोहन करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भारत के रूपांतरण लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक 2025 (शांति) संसद में प्रस्तुत किया गया है।
- iii. डीकार्बोनाइजेशन सहयोग करने के लिए भारत की प्रमाणित दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) प्रौद्योगिकी के आधार पर 220 मेगावाट क्षमता के भारत लघु रिएक्टर (बीएसआर) को औद्योगिक केंद्रों में तैनाती के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। बीएसआरसी रिटायर हो रहे कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के अन्य उद्देश्य से उपयोग तथा दूरस्थ क्षेत्रों में अनुप्रयोगों के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर भी विकसित कर रहा है।
- iv. यूरैनियम की नई खोजों के माध्यम से भारत की ईंधन सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है, जिसमें एक महत्वपूर्ण खोज भी शामिल है जो जादूगुड़ा खदान की कार्य अवधि को 50 वर्षों से अधिक बढ़ा देगी। बंद ईंधन चक्र में प्रगति, जैसे प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्राप्त उपलब्धि, स्थिर ईंधन आपूर्ति को और सहायता देगी।
- v. क्षमता वृद्धि में तेजी लाने के लिए, एनपीसीआईएल और एनटीपीसी ने मौजूदा कानूनी फ्रेमवर्क के भीतर परमाणु विद्युत संयंत्रों को विकसित करने के लिए संयुक्त उद्यम अश्विनी का गठन किया है।

(घ) : राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत चिह्नित नदियों का अंतर्संबंध (आईएलआर) परियोजनाओं के लिए, सिंचाई तथा घरेलू एवं औद्योगिक जल की संवर्धन के मुख्य लाभों के अतिरिक्त, जलविद्युत उत्पादन भी लाभ घटकों में से एक है।

इन लाभों को आईएलआर परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के चरण में निर्धारित/अंतिम रूप दिया जाता है।



देश में वित्त वर्ष 2024-25 तथा 2025-26 (अक्टूबर, 2025 तक) के दौरान स्रोत-वार संस्थापित उत्पादन क्षमता तथा उत्पादित विद्युत का ब्यौरा:

श्रेणी	दिनांक 31.10.2025 तक संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	संस्थापित क्षमता में % हिस्सा	उत्पादन [वित्त वर्ष 2024-25] एमयू में	उत्पादन [वित्त वर्ष 2025-26 (अक्टूबर तक)] एमयू में
कुल क्षमता-जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोत	2,45,600	48.63%	13,63,890	7,52,583
कुल क्षमता- गैर-जीवाश्म आधारित स्रोत	2,59,423	51.37%	4,60,324	3,44,037
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (हाइड्रो सहित)	2,50,643	49.63%	4,03,643	3,11,954
न्यूक्लियर	8,780	1.74%	56,681	32,082
कुल योग	5,05,023	100.00%	18,24,214	10,96,620

महाराष्ट्र में वित्त वर्ष 2024-25 तथा 2025-26 (अक्टूबर, 2025 तक) के दौरान स्रोत-वार संस्थापित उत्पादन क्षमता तथा उत्पादित विद्युत का ब्यौरा:

श्रेणी	दिनांक 31.10.2025 तक संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	संस्थापित क्षमता में % हिस्सा	उत्पादन [वित्त वर्ष 2024-25] एमयू में	उत्पादन [वित्त वर्ष 2025-26 (अक्टूबर तक)] एमयू में
कुल क्षमता-जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोत	26,135	46.82%	1,36,548	77,711
कुल क्षमता-गैर-जीवाश्म आधारित स्रोत	29,683	53.18%	33,694	21,112
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (हाइड्रो सहित)	28,283	50.67%	25,226	16,172
न्यूक्लियर	1,400	2.51%	8,467	4,940
कुल योग	55,818	100.00%	1,70,242	98,823

दिनांक 30/11/2025 तक की स्थिति के अनुसार निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का विवरण:

क्रम सं.	परियोजना का नाम/कार्यान्वयन एजेंसी	क्षेत्र	राज्य	यूनिट संख्या	क्षमता (मेगावाट)	प्रत्याशित ट्रायल रन की तिथि
1	नॉर्थ चेन्नई टीपीपी, चरण-III (टीएनपीजीसीएल)	राज्य	तमिलनाडु	यू-6	800	दिसंबर-25
2	यादाद्री टीपीएस (टीजीजीईएनसीओ)	राज्य	तेलंगाना	यू -4	800	दिसंबर -25
3	सागरदिघी टीपीपी चरण -III (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	राज्य	पश्चिम बंगाल	यू -5	660	दिसंबर -25
4	मलीब्राह्मणि टीपीपी, मेसर्स जिंदल पावर	निजी	ओड़िशा	यू -2	525	दिसंबर -25
5	यादाद्री टीपीएस (टीजीजीईएनसीओ)	राज्य	तेलंगाना	यू -3	800	मार्च-26
6	कोरबा टीपीपी, चरण-II (लैंको अमरकंटक टीपीपी), मेसर्स अडानी पावर	निजी	छत्तीसगढ़	यू -3	660	फरवरी-26
7	उडनगुडी एसटीपीपी चरण -I (टीएनपीजीसीएल)	राज्य	तमिलनाडु	यू -1	660	मार्च-26
8	बक्सर टीपीपी (एसजेवीएन)	केंद्रीय	बिहार	यू -2	660	मार्च-26
9	उडनगुडी एसटीपीपी चरण-I (टीएनपीजीसीएल)	राज्य	तमिलनाडु	यू -2	660	मार्च-26
10	घाटमपुर टीपीपी (एनयूपीपीएल)	केंद्रीय	उत्तर प्रदेश	यू -3	660	मार्च-26
11	पतरातू एसटीपीपी (पीवीयूएनएल)	केंद्रीय	झारखंड	यू -2	800	मार्च-26
12	यादाद्री टीपीएस (टीजीजीईएनसीओ)	राज्य	तेलंगाना	यू -5	800	मार्च-26
13	पतरातू एसटीपीपी (पीवीयूएनएल)	केंद्रीय	झारखंड	यू -3	800	जुलाई-26
14	सिंधितराई टीपीपी, (मेसर्स वेदांता)	निजी	छत्तीसगढ़	यू -2	600	जुलाई-26
15	एननोर एससीटीपीपी (टीएनपीजीसीएल)	राज्य	तमिलनाडु	यू -1	660	सितंबर-26
16	एननोर एससीटीपीपी (टीएनपीजीसीएल)	राज्य	तमिलनाडु	यू -2	660	नवंबर-26
17	कोरबा टीपीपी, चरण-II (लैंको) अमरकंटक टीपीपी, मेसर्स अडानी पावर	निजी	छत्तीसगढ़	यू -4	660	नवंबर -26
18	महान एसटीपीपी, चरण-II (महान ऊर्जा)	निजी	मध्य प्रदेश	यू-3	800	दिसंबर-26
19	महान एसटीपीपी, चरण-II (महान ऊर्जा)	निजी	मध्य प्रदेश	यू-4	800	मई-27
20	तालचेर टीपीपी चरण-III (एनटीपीसी)	केंद्रीय	ओड़िशा	यू -1	660	सितंबर-27
21	तालचेर टीपीपी चरण-III (एनटीपीसी)	केंद्रीय	ओड़िशा	यू -2	660	दिसंबर-27
22	लारा एसटीपीपी चरण-II (एनटीपीसी)	केंद्रीय	छत्तीसगढ़	यू -3	800	दिसंबर-27
23	रायपुर एक्सटेंशन चरण, पीएच-II/अडानी पावर	निजी	छत्तीसगढ़	यू -3	800	जनवरी-28
24	रायगढ़ यूएससीटीपीपी, चरण-II/अडानी पावर	निजी	छत्तीसगढ़	यू -2	800	जनवरी -28
25	लारा एसटीपीपी चरण-II (एनटीपीसी)	केंद्रीय	छत्तीसगढ़	यू -4	800	जून-28
26	रायपुर एक्सटेंशन टीपीपी, चरण-II/अडानी पावर	निजी	छत्तीसगढ़	यू -4	800	जुलाई-28
27	रायगढ़ यूएससीटीपीपी, चरण-II/अडानी पावर	निजी	छत्तीसगढ़	यू -3	800	जुलाई-28
28	कोडरमा टीपीएस, चरण-II/डीवीसी	केंद्रीय	झारखंड	यू -1	800	अगस्त-28
29	कोडरमा टीपीएस, चरण-II/डीवीसी	केंद्रीय	झारखंड	यू -2	800	दिसंबर-28
30	रघुनाथपुर टीपीएस, चरण-II/डीवीसी	केंद्रीय	पश्चिम बंगाल	यू-3	660	Dec-28
31	सिंगरेनी टीपीपी, चरण-II/एससीसीएल	राज्य	तेलंगाना	यू -3	800	दिसंबर-28
32	एनएलसी तलबीरा टीपीपी (एनएलसी)	केंद्रीय	ओड़िशा	यू -1	800	मार्च-29
33	रघुनाथपुर टीपीएस, चरण-II/डीवीसी	केंद्रीय	पश्चिम बंगाल	यू -4	660	अप्रैल-29
34	सिंगरौली एसटीपीपी, चरण-III (एनटीपीसी)	केंद्रीय	उत्तर प्रदेश	यू -8	800	मई-29
35	कोराडी टीपीएस, चरण-V (एमएसपीजीसीएल)	राज्य	महाराष्ट्र	यू -11	660	मई-29
36	नबीनगर एसटीपीपी, चरण-II (एनटीपीसी)	केंद्रीय	बिहार	यू -4	800	जुलाई -29

क्रम सं.	परियोजना का नाम/कार्यान्वयन एजेंसी	क्षेत्र	राज्य	यूनिट संख्या	क्षमता (मेगावाट)	प्रत्याशित ट्रायल रन की तिथि
37	कोरबा (डब्ल्यू) एससीटीपीपी (सीएसपीजीसीएल)	राज्य	छत्तीसगढ़	यू -1	660	जुलाई -29
38	महान एसटीपीपी, चरण-III (महान ऊर्जावादी)	निजी	मध्य प्रदेश	यू -5	800	अगस्त-29
39	एनएलसी तलबीरा टीपीपी (एनएलसी)	केंद्रीय	ओडिशा	यू -2	800	सितंबर-29
40	डीसीआर टीपीपी विस्तार /एचपीजीसीएल	राज्य	हरियाणा	यू -1	800	सितंबर -29
41	सीपत एसटीपीपी, चरण-III (एनटीपीसी)	केंद्रीय	छत्तीसगढ़	यू -1	800	सितंबर -29
42	उकाई टीपीपी/जीएसईसीएल	राज्य	गुजरात	यू -7	800	सितंबर -29
43	गाडरवाड़ा एसटीपीपी, चरण-II (एनटीपीसी)	केंद्रीय	मध्य प्रदेश	यू -3	800	सितंबर -29
44	सिंगरौली एसटीपीपी, चरण-III (एनटीपीसी)	केंद्रीय	उत्तर प्रदेश	यू -9	800	फरवरी-30
45	कोराडी टीपीएस, चरण-V (एमएसपीजीसीएल)	राज्य	महाराष्ट्र	यू -12	660	नवंबर -29
46	नवीनगर एसटीपीपी, चरण-II (एनटीपीसी)	केंद्रीय	बिहार	यू -5	800	जनवरी-30
47	कोरबा (डब्ल्यू) एससीटीपीपी (सीएसपीजीसीएल)	राज्य	छत्तीसगढ़	यू -2	660	जनवरी-30
48	महान एसटीपीपी, चरण-III (महान एनर्जी)	निजी	मध्य प्रदेश	यू -6	800	फरवरी-30
49	एनएलसी तलबीरा टीपीपी (एनएलसी)	केंद्रीय	ओडिशा	यू -3	800	मार्च-30
50	गदरवाड़ा एसटीपीपी, चरण-II (एनटीपीसी)	केंद्रीय	मध्य प्रदेश	यू -4	800	मार्च-30
51	नवीनगर एसटीपीपी, चरण-II (एनटीपीसी)	केंद्रीय	बिहार	यू -6	800	जुलाई-30
52-54	अकलतारा टीपीपी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी	निजी	छत्तीसगढ़	यू -4,5,6	1800	मार्च-31
55-56	बिनजकोट टीपीपी, एम/एस शारदा एनर्जी मिनरल	निजी	छत्तीसगढ़	यू -3,4	600	मार्च-32
			कुल योग: 40,345			

## निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं का विवरण:

क्रम सं.	परियोजना का नाम (निष्पादन एजेंसी)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (संख्याXमेगावाट)	निष्पादन के तहत क्षमता (मेगावाट)	कमीशनिंग की अपेक्षित तिथि
1	सुबनसिरी लोअर (एनएचपीसी)	अरुणाचल प्रदेश/असम	8x250	2000.00	मई'26
2	दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (एनएचपीसी)	अरुणाचल प्रदेश	12x240	2880.00	फरवरी'32
3	तीस्ता चरण VI एनएचपीसी	सिक्किम	4x125	500.00	दिसंबर'27
4	रंगित-IV (एनएचपीसी)	सिक्किम	3x40	120.00	दिसंबर '25
5	रतले (आरएचईपीपीएल/एनएचपीसी)	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	4x205 + 1x30	850.00	नवंबर'28
6	पाकल दुल (सीवीपीपीएल)	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	4x250	1000.00	दिसंबर '26
7	किरू (सीवीपीपीएल)	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	4x156	624.00	दिसंबर '26
8	क्वार (सीवीपीपीपीएल)	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	4x135	540.00	मार्च'28
9	लुहरी-I (एसजेवीएन)	हिमाचल प्रदेश	2x80+2x25	210.00	फरवरी'30
10	धौलासिद्ध (एसजेवीएन)	हिमाचल प्रदेश	2x33	66.00	मार्च'27
11	सुन्नी बांध (एसजेवीएन)	हिमाचल प्रदेश	4x73+1x73+1x17	382.00	दिसंबर '29
12	विष्णुगाड पीपलकोटी (टीएचडीसी)	उत्तराखंड	4x111	444.00	मार्च'27
13	तपोवन विष्णुगाड (एनटीपीसी)	उत्तराखंड	4x130	520.00	मार्च'29
14	रम्मम-III (एनटीपीसी)	पश्चिम बंगाल	3x40	120.00	मार्च'29
15	एचईओ (नीपको)	अरुणाचल प्रदेश	3x80	240.00	सितम्बर'29
16	तातो-I (नीपको)	अरुणाचल प्रदेश	3x62	186.00	सितम्बर'29
17	पोलावरम (एपीजेनको/सिंचाई विभाग, आ.प्र.)	आंध्र प्रदेश	12x80	960.00	जनवरी'28
18	लोअर सिलेरू विस्तार (एपीजीईएनसीओ)	आंध्र प्रदेश	2x115	230.00	मार्च'26
19	शौगतौंग करचम (एचपीपीसीएल)	हिमाचल प्रदेश	3x150	450.00	सितम्बर'28
20	चांजू-III (एचपीपीसीएल)	हिमाचल प्रदेश	3x16	48.00	दिसम्बर'27
21	मनकुलम (केएसईबी)	केरल	2x20	40.00	नवंबर'27
22	लोअर कोपली (एपीजीसीएल)	असम	2x55+2x2.5+1x5	120.00	अप्रैल'26
23	परनाई (जेकेएसपीडीसी)	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	3x12.5	37.50	दिसंबर'27
24	शाहपुरकंडी (पीएसपीसीएल/सिंचाई विभाग, पंजाब)	पंजाब	3x33+3x33+1x8	206.00	मई'27
25	लखवार बहुउद्देशीय परियोजना (यूजेवीएनएल)	उत्तराखंड	3x100	300.00	दिसंबर'31
26	टिडोंग-I (स्टेटक्राफ्ट आईपीएल)	हिमाचल प्रदेश	3x50	150.00	जुलाई'26
कुल:				13,223.50	

## निर्माणाधीन पंप भंडारण परियोजनाओं का विवरण:

क्रम सं.	परियोजना का नाम (निष्पादन एजेंसी)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (संख्याXमेगावाट)	निष्पादन के तहत क्षमता (मेगावाट)	कमीशनिंग की अपेक्षित तिथि
1	टिहरी पीएसएस (टीएचडीसी)	उत्तराखंड	2x250	500.00	दिसंबर'25
2	अपर सिलेरु पीएसपी (एपीजेनको)	आंध्र प्रदेश	9x150	1350.00	फरवरी'29
3	शरावती पंप भंडारण परियोजना(केपीसीएल)	कर्नाटक	8x250	2000.00	दिसंबर'29
4	कुंडा पंप भंडारण चरण-I,II&III) (टैजेडको)	तमिलनाडु	4x125	500.00	अप्रैल'26
5	एमपी30 गांधी सागर पंप भंडारण परियोजना (ग्रीनको एमपी01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड)	मध्य प्रदेश	7x240 + 2x120	1920.00	दिसंबर'26
6	चित्रावती पीएसपी (मेर्सस अडानी रिन्यूएबल एनर्जी फोर्टी-टू लिमिटेड)	आंध्र प्रदेश	2x250	500.00	अक्टूबर'26
7	भिवपुरी पीएसपी (मेर्सस टाटा पावर कंपनी लिमिटेड)	महाराष्ट्र	4x200 + 2x100	1000.00	अक्टूबर'28
8	सौंदत्ती पीएसपी (मेर्सस ग्रीनको केए01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड)	कर्नाटक	320x4+160x2	1600.00	दिसंबर' 2027
9	भवाली पीएसपी (मेर्सस जेएसडब्ल्यू एनर्जी पीएसपी टू लिमिटेड)	महाराष्ट्र	5x250+2x125	1500.00	दिसंबर' 2028
10	गांधीकोटा पीएसपी (मेर्सस अडानी रिन्यूएबल एनर्जी फिफ्टी-वन लिमिटेड)	आंध्र प्रदेश	4x250	1000.00	मार्च' 2029
कुल:				11,870.00	

निर्माणाधीन परमाणु विद्युत परियोजनाओं का विवरण:

क्रम सं.	परियोजना स्थल	प्रोजेक्ट-यूनिट	क्षमता (मेगावाट)	कमीशनिंग का अपेक्षित वर्ष
1	रावतभाटा, राजस्थान	आरएपीपी-8	1*700	2025-26
2	कुडनकुलम, तमिलनाडु	केकेएनपीपी-3	1*1000	2025-26
3	कुन्दनकुलम,	केकेएनपीपी-4	1*1000	2026-27
4	तमिलनाडु	पीएफबीआर	1*500	2026-27
5	कलपक्कम, तमिलनाडु	केकेएनपीपी-5एवं6	2*1000	2029-30
6	कुन्दनकुलम, तमिलनाडु	जीएचएवीपी-1	1*700	2030-31
7	गोरखपुर, हरियाणा	जीएचएवीपी-2	1*700	2031-32
कुल			6,600	

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-3093  
दिनांक 18 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली

3093. श्री गणेश सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवीकरणीय ऊर्जा की अनिश्चितता से निपटने और ग्रिड स्थिरता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा अब तक विकसित और लगाई गई ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार भारत की ऊर्जा संक्रमण कार्यनीति में उच्च नवीकरणीय ऊर्जा हिस्सेदारी वाले देशों से बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस), पंप-हाइड्रो भंडारण और उन्नत ग्रिड प्रबंधन प्रणालियों जैसी सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या आगामी वर्षों में ऊर्जा भंडारण क्षमता बढ़ाने, लागत कम करने और बड़े पैमाने पर भंडारण अवसंरचना का उपयोग करने के लिए कोई राष्ट्रीय कार्य योजना या रूपरेखा जारी करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री  
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : नवीकरणीय ऊर्जा की अनिश्चितता को दूर करने और ग्रिड स्थिरता बनाए रखने के लिए, भारत सरकार ने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) और पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) सहित ऊर्जा-भंडारण प्रौद्योगिकियों के विकास और स्थापना को बढ़ावा देने के लिए समन्वित नीति, विनियामक, मांग-पक्ष और आपूर्ति-पक्ष उपायों की एक श्रृंखला शुरू की है। किए गए उपायों का विवरण अनुबंध पर दिया गया है।

(ख) : सरकार भारत की ऊर्जा-पारगमन कार्यनीति के हिस्से के रूप में उच्च नवीकरणीय-ऊर्जा दक्षता वाले देशों से संबंधित वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव दर्शाता है कि पंप-हाइड्रो भंडारण और बीईएसएस, और उन्नत ग्रिड-प्रबंधन प्रणालियाँ नवीकरणीय ऊर्जा की परिवर्तनशीलता और अनिश्चितता प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन प्रथाओं के अनुरूप, भारत



में ऊर्जा भंडारण प्रणाली को विभिन्न समय पैमानों में आवृत्ति नियंत्रण, वोल्टेज विनियमन, पीक शिफ्टिंग, संकुलन प्रबंधन और ब्लैक-स्टार्ट संबंधी सहायता जैसी सहायक ग्रिड सेवाएं प्रदान करने के लिए तैनात किया जा रहा है। तदनुसार, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सहायक सेवाएं) विनियम, 2022 के तहत, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यक्षीन द्वितीयक आरक्षित सहायक सेवाएं और तृतीयक आरक्षित सहायक सेवाएं प्रदान करने के लिए योग्य बनाया गया है, जिससे रियल-टाइम ग्रिड स्थिरता और विश्वसनीय प्रणाली प्रचालन की सहायता की जा सकती है। नवीकरणीय संसाधनों की निगरानी, पूर्वानुमान और शेड्यूलिंग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (आरईएमसी) स्थापित किए गए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा की परिवर्तनशीलता का प्रबंधन करने के लिए आपूर्ति और मांग को संतुलित करने हेतु स्वचालित उत्पादन नियंत्रण (एजीसी) का उपयोग किया जा रहा है।

**(ग) :** सरकार ने आने वाले वर्षों में ऊर्जा भंडारण क्षमता की बड़े पैमाने पर तैनाती का मार्गदर्शन करने के लिए एक आयोजना फ्रेमवर्क तैयार किया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने नवीकरणीय ऊर्जा के विश्वसनीय एकीकरण की सुविधा के लिए वर्ष 2029-30 तक लगभग 336 गीगावाट घंटा ऊर्जा भंडारण क्षमता और वर्ष 2031-32 तक लगभग 411 गीगावाट घंटा की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। इसके अलावा, संसाधन पर्याप्तता योजना (आरएपी) तैयार करने के लिए दिशानिर्देश दिनांक 28.06.2023 को जारी किए गए थे, जिसमें ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को विद्युत क्षेत्र की आयोजना के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में शामिल किया गया था। ये दिशानिर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करते हैं कि अनुमानित उच्चतम मांग को पूरा करने और ग्रिड स्थिरता बनाए रखने के लिए पर्याप्त उत्पादन, भंडारण और मांग-उत्तरदायी संसाधन उपलब्ध हों। राष्ट्रीय विद्युत योजना और संसाधन पर्याप्तता ढांचा मिलकर ऊर्जा-भंडारण क्षमता को बढ़ाने, प्रणाली विश्वसनीयता को सुधारने और भारत के ऊर्जा पारगमन को सक्षम करने के लिए एक रोडमैप प्रदान करता है।

**I. नीति और विनियामक उपाय**

1. विद्युत प्रणाली के एक अभिन्न अंग के रूप में ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (ईएसएस) को स्पष्ट रूप से मान्यता देने के लिए दिसंबर 2022 में विद्युत नियमों में संशोधन किया गया था, जिससे उत्पादन, पारेषण और वितरण कार्यों में उनकी भागीदारी सक्षम हो सके।
2. अक्टूबर 2022 में, दीर्घकालिक और कम लागत वाले वित्तपोषण तक पहुंच की सुविधा प्रदान करते हुए, ईएसएस को वित्त मंत्रालय की अवसंरचना की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची में शामिल किया गया था।
3. जून 2023 में, सरकार ने राज्य यूटिलिटी द्वारा संसाधन पर्याप्तता योजना तैयार करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए, जिसके तहत ऊर्जा भंडारण को उच्चतम मांग को पूरा करने और प्रणाली विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख योजना संसाधन के रूप में शामिल किया गया है।
4. सितंबर 2023 में ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क जारी किया गया था, जो भंडारण प्रौद्योगिकियों की तैनाती, बाजार एकीकरण और विनियामक सुविधा के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रदान करता है।
5. बीईएसएस प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ाने और डिजाइन और निर्माण प्रथाओं को मानकीकृत करने के लिए, सीईए (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) (पहला संशोधन) विनियम, 2025 का मसौदा और बीईएसएस विनियम, 2025 के निर्माण के लिए तकनीकी मानकों का मसौदा जारी किया गया है।

**II. मांग-पक्ष प्रवर्तक और बाजार विकास उपाय**

6. परियोजना व्यवहार्यता में सुधार के लिए जून, 2028 तक शुरू की गई सह-स्थित बीईएसएस परियोजनाओं और अवार्ड की गई पीएसपी के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभागों में छूट प्रदान की गई है (प्रारंभिक छूट नवंबर 2021 में अधिसूचित की गई थी)।
7. जनवरी 2022 में, सीईआरसी ने, द्वितीयक और तृतीयक रिज़र्व सहित, सहायक सेवाएं प्रदान करने के लिए भंडारण-आधारित संसाधनों की अनुमति दी, जिससे ईएसएस पारंपरिक उत्पादनकर्ताओं के साथ रियल टाइम ग्रिड संतुलन संबंधी सहायता करने में सक्षम हो सके।
8. वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा बीईएस की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) दिशानिर्देशों को मार्च 2022 में अधिसूचित किया गया था, जिससे बड़े पैमाने पर भंडारण खरीद के लिए एक पारदर्शी तंत्र बनाया गया था।
9. दिसंबर 2022 में संशोधित विद्युत (उपभोक्ताओं अधिकार) नियम, 2020 के तहत, डीजल जनरेटर सेट का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को राज्य आयोगों द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर ऊर्जा भंडारण सहित स्वच्छ बैकअप समाधानों में स्थानांतरित करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

10. बीईएसएस से आपूर्ति की गई विद्युत को मार्च, 2023 में शुरू किए गए उच्च मूल्य वाले डे-अहेड बाजार में भाग लेने की अनुमति दी गई है, जिससे भंडारण गैस आधारित उत्पादन के समान, उच्चतम मूल्य संकेतों की प्रतिक्रिया में सक्षम हो गया है।
11. सरकार प्रारंभिक चरण की तैनाती में तेजी लाने के लिए मार्च 2024 और जून 2025 में शुरू की गई लगभग 43 गीगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास में सहायता करने के लिए दो व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीमों को कार्यान्वित कर रही है।

### III. आपूर्ति-पक्ष और विनिर्माण-केंद्रित उपाय

12. भारी उद्योग मंत्रालय 50 गीगावाट घंटा की उन्नत रसायन सेल विनिर्माण क्षमता की स्थापना के लिए 18,100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें से 10 गीगावाट घंटा ग्रिड-स्तरीय भंडारण के लिए निर्धारित है। (जून 2021)
13. पंप भंडारण परियोजनाओं के लिए, पहले 200 मेगावाट के लिए प्रति मेगावाट 1 करोड़ रुपये और उसके बाद प्रति मेगावाट 0.75 करोड़ रुपये की दर से सक्षम अवसंरचना के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। (सितंबर 2023)
14. सीईआरसी ने, मौजूदा सबस्टेशनों पर अतिरिक्त नवीकरणीय क्षमता को सक्षम करते हुए और शाम और रात के घंटों तक विद्युत के भंडारण-आधारित स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करते हुए, गैर-सौर घंटों के दौरान अलग ग्रिड कनेक्टिविटी की अनुमति दी है। (सितंबर 2025)
15. परियोजना विकास में तेजी लाने के लिए क्लोज्ड-लूप, ऑफ-स्ट्रीम पंप भंडारण परियोजनाओं के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की वैधानिक सहमति ली गई है। (अगस्त 2025)
16. सितंबर 2025 में विद्युत नियमों में संशोधन के माध्यम से, उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को विकसित करने, खरीदे जाने, पट्टे पर दिए जाने या संचालित करने की अनुमति दी गई है, जिससे स्वामित्व और व्यवसाय मॉडल की सीमा का विस्तार हुआ है।
17. फरवरी 2025 में, सीईए ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के साथ ईएसएस के सह-अवस्थिति पर एक परामर्शिका जारी की, जिसमें सौर ऊर्जा की प्रेषण क्षमता में सुधार के लिए कम से कम दो घंटे की न्यूनतम अवधि के लिए स्थापित सौर क्षमता के कम से कम 10% की भंडारण क्षमता की सिफारिश की गई थी।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3109

दिनांक 18 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

बीबीएमबी के अंतर्गत जलाशयों और बांधों में गाद जमाव का स्तर

†3109. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) के अंतर्गत आने वाले जलाशयों और बांधों में वर्तमान गाद का स्तर क्या है तथा सरकार द्वारा निर्धारित जलसंधारण क्षमता को बहाल करने के लिए गाद निष्कासन और तलछट प्रबंधन के प्रमुख उपाय क्या हैं;

(ख) जलविद्युत संधारणीयता में सुधार और निचले इलाकों में बाढ़ नियंत्रण को सुदृढ़ बनाने के लिए इन जलाशयों में गाद निष्कासन में तेजी लाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कौन सी कार्रवाइयां की गई हैं;

(ग) बीबीएमबी और एसजेवीएनएल द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के समक्ष प्रस्तुत और वर्तमान में लंबित गाद निष्कासन, तलकर्षण, जलग्रहण क्षेत्र उपचार, वनीकरण और जल निकासी से संबंधित कौन-कौन से प्रस्ताव हैं और उनकी समय पर मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या बीबीएमबी और एसजेवीएनएल उच्च गाद प्रवाह से निपटने के लिए उन्नत तलकर्षण प्रौद्योगिकियों, अद्यतन जलवैज्ञानिक सर्वेक्षणों और पूर्वानुमान तलछट मॉडलिंग प्रणालियों जैसे अतिरिक्त उपायों पर विचार कर रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या मंत्रालय की बीबीएमबी और एसजेवीएनएल को भंडारण क्षमता में कमी को रोकने, जलाशय सुरक्षा बढ़ाने और राष्ट्रीय जल एवं ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए एकीकृत वित्तीय, तकनीकी एवं नीतिगत सहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री  
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) हिमाचल प्रदेश में दो भंडारण बांधों नामतः भाखड़ा बांध और पोंग बांध का संचालन करता है। अब तक, भाखड़ा जलाशय का जल भंडारण 9.87 बीसीएम के अपने कुल सकल भंडारण का लगभग 26% और 7.43 बीसीएम के अपने लाइव भंडारण का लगभग 19% घट गया है। पोंग जलाशय का जल भंडारण 8.57 बीसीएम के अपने कुल सकल भंडारण का लगभग 14% और 7.30 बीसीएम के अपने लाइव भंडारण का लगभग 12% घट गया है। इसके अलावा, बीबीएमबी दो डायवर्जन संरचनाओं नामतः नंगल बांध और पंडोह बांध का भी संचालन करता है जहां मानसून के दौरान गाद फ्लशिंग की जाती है।

सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) की बांध/बैराज संरचनाओं वाली दो परियोजनाएं नामतः नाथपा झाकरी जल विद्युत स्टेशन (एचपीएस) (1500 मेगावाट) और नैटवार मोरी एचपीएस (60 मेगावाट) हैं। दोनों परियोजनाएं छोटे तालाबों के साथ रन-ऑफ-रिवर स्कीमें हैं। अब तक, नाथपा जलाशय 3.43 एमसीएम का सकल भंडारण और 3.03 एमसीएम का लाइव भंडारण शत-प्रतिशत बनाए हुए है। इसके अलावा, नैटवार जलाशय 0.281 एमसीएम का सकल भंडारण और 0.206 एमसीएम का लाइव भंडारण शत-प्रतिशत बनाए हुए है। लाइव भंडारण क्षमताओं को संरक्षित करने के लिए, विशेष रूप से मानसून के मौसम के दौरान, आवश्यकतानुसार गाद फ्लशिंग की जाती है।

**(ख) :** जलाशयों के तलछट प्रबंधन की आवश्यकता को प्राथमिकता देते हुए, भारत सरकार ने तलछट प्रबंधन गतिविधियां शुरू करने में बांध स्वामियों की सहायता करने के लिए कुछ सक्रिय कार्रवाई शुरू की है। एक कदम आगे बढ़ाते हुए, केंद्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष 2019 में “जलाशय तलछट के आकलन एवं प्रबंधन हेतु हैंडबुक” प्रकाशित की गई है, जो बांध स्वामियों द्वारा तलछट प्रबंधन गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज़ के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा, जल संसाधन विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने नदी बेसिनों में तलछट प्रबंधन हेतु मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए अक्टूबर 2022 में “तलछट प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क” नामक एक रूपरेखा दस्तावेज प्रकाशित किया है।

**(ग) :** गाद निकालने और तलछट प्रबंधन के संबंध में, बीबीएमबी ने हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने बांधों की गाद निकालने/ड्रेजिंग के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तथापि, एसजेवीएनएल के संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश सरकार के पास लंबित नहीं है।

**(घ) :** बीबीएमबी पानी के स्तर को कम किए बिना गहरे ड्रेजिंग संचालन की संभावना तलाश रहा है। इसके अलावा, एसजेवीएनएल ने नाथपा बांध के लिए तलछट संचय की निगरानी करने और भंडारण क्षमता को अनुकूलित करने हेतु जलाशय फ्लशिंग की योजना बनाने के लिए नियमित जल-तल सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव किया है जिसका उपयोग जलाशय की गहराई और पानी के नीचे की स्थलाकृति को मापने के लिए किया जाता है।

**(ङ) :** बांध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण II और III के तहत, स्थायी जल भंडारण, कुशल बांध प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण पहलू के लिए चयनित बांधों के सुरक्षा पहलुओं में सुधार हेतु बीबीएमबी की सहायता की जा रही है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-3114  
दिनांक 18 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

एनटीपीसी के पास एनएच 53 का स्वामित्व

3114. श्री रुद्र नारायण पाणी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ओडिशा के अंगुल जिले में गोदीबन्धा चौक से एनटीपीसी चौक तक राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) 53 के खंड का स्वामित्व एनटीपीसी लिमिटेड, तालचेर कनिहा तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (टीएसटीपीपी) के पास होने के कारण इसके विकास, उन्नयन या मरम्मत में गंभीर बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस राजमार्ग खंड का स्वामित्व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को हस्तांतरित किया जा सकता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनटीपीसी लिमिटेड को ऐसा कोई प्रस्ताव भेजा गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस समस्या का कोई स्थायी समाधान लागू किए जाने की आशा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे किस प्रकार किया जाएगा?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री  
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : विद्युत मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि ओडिशा के अंगुल जिले में गोडीबन्धा चौक से एनटीपीसी चौक तक के राजमार्ग का स्वामित्व एनटीपीसी लिमिटेड के पास है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-53 का हिस्सा है। तथापि, एनटीपीसी तालचेर कनिहा ने दिनांक 26.05.2025 को एनएच डिवीजन, पालहरा, ओडिशा (ओडिशा सरकार) को एनटीपीसी के स्वामित्व वाली सड़क के हस्तांतरण और आगामी टीएसटीपीपी के स्टेज-III के लिए एनटीपीसी के स्वामित्व वाले हिस्से के साथ-साथ भूमि मुआवजा भुगतान के आधार पर 16 मीटर (चौड़ाई में) भूमि का स्वामित्व अपने पास रखने के संबंध में अपनी सहमति प्रदान की है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-3119  
दिनांक 18 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

उत्पादन दक्षता में सुधार के लिए वित्तीय लेखापरीक्षा

3119. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान रघुनाथपुर दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) संयंत्र में कोयले की आपूर्ति, भण्डार की स्थिति और इसकी आपूर्ति से इंकार करने की स्थिति क्या रही है;

(ख) क्या प्रबंधन की कमजोर योजना और अनुबंध प्रबंधन में कमियों के कारण इकाइयों को कई बार बिजली कटौती करनी पड़ी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि रखरखाव में देरी, कलपुर्जे की अनुपलब्धता, खराब वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) प्रबंधन और अपर्याप्त तकनीकी निरीक्षणों के कारण संयंत्र पर भार के कारक (पीएलएफ) लगातार राष्ट्रीय औसत से नीचे बने हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का उत्पादन दक्षता में सुधार लाने तथा प्रबंधन की कमियों की पहचान करने के लिए कोई तकनीकी तथा वित्तीय लेखापरीक्षा कराने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री  
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) एवं (ख) : दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) की रघुनाथपुर तापविद्युत परियोजना (आरटीपीपी) में पिछले पाँच वर्षों तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष (अप्रैल से नवंबर) के दौरान कोयला प्राप्ति, कोयला भंडार की स्थिति एवं कोयला अस्वीकृति की स्थिति नीचे दी गई है:

क्रम सं.	वित्त वर्ष	संयंत्र में कोयला प्राप्ति (हजार टन में)	वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को संयंत्र में कोयले का भंडार (हजार टन में)	संयंत्र में कोयला अस्वीकृति
1	2020-21	3093	203	शून्य
2	2021-22	3964	201	
3	2022-23	3745	225	
4	2023-24	4702	485	
5	2024-25	4270	361	
6	2025-26 (अप्रैल से नवंबर)	2963	323*	

\*दिनांक 30.11.2025 को कोयला भंडार की स्थिति।

डीवीसी ने इस संयंत्र में कोयले की कमी के कारण किसी कटौती की सूचना नहीं दी है।

(ग) : पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान रघुनाथपुर तापविद्युत परियोजना (आरटीपीपी) का प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) तथा कोयला आधारित तापविद्युत परियोजनाओं (टीपीपी) का राष्ट्रीय औसत पीएलएफ नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	वित्त वर्ष	डीवीसी की रघुनाथपुर टीपीपी का पीएलएफ (%)	डीवीसी की कोयला आधारित टीपीपी का समग्र पीएलएफ (%)	कोयला आधारित टीपीपी का राष्ट्रीय औसत पीएलएफ
1	2020-21	49.71	62.39	54.56
2	2021-22	57.85	68.96	58.76
3	2022-23	53.67	74.22	64.21
4	2023-24	65.98	76.81	69.49
5	2024-25	62.56	75.70	69.95
6	2025-26 (अप्रैल से नवंबर)*	60.91	68.79	63.25

\*अनंतिम आंकड़े।

रघुनाथपुर ताप विद्युत परियोजना में पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएलएफ की कम प्रतिशतता के कारण निम्नलिखित हैं:

- वित्तीय वर्ष 2020-21: कोविड-19 के कारण लागू राष्ट्रीय लॉकडाउन के चलते निर्धारित मांग कम रही।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25: राख संयंत्र से खराब निकासी के साथ-साथ वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक निर्धारित मांग भी कम रही।
- वित्तीय वर्ष 2024-25: मार्च 2024 से जुलाई 2024 तक यूनिट #2 में टरबाइन की रुकावट और कम निर्धारित मांग के कारण पीएलएफ कम रहा।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 (नवंबर 2025 तक): सितंबर, 2025 में एचपी सील बैक-अप पंप की सक्शन लाइन में तेल रिसाव की मरम्मत के लिए यूनिट #1 बंद रही, फिर दिनांक 14.10.2025 से 20.11.2025 तक ओवरहालिंग और कंडेंसर की मरम्मत के लिए बंद रही। हालांकि, चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 (नवंबर 2025 तक) में पीएलएफ 60.91% रहा, जो वित्त वर्ष 2024-25 (नवंबर 2024 तक) की इसी अवधि के दौरान 55.45% था।

डीवीसी द्वारा किए गए उपचारात्मक उपाय निम्नवत हैं:

- इलेक्ट्रो-स्टैटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी) हॉपर से फ्लाई ऐश की बेहतर निकासी के लिए, 01 अतिरिक्त फ्लाई ऐश निष्कर्षण (एफएई) टॉवर लगाने संबंधी कार्य आदेश दिया गया है।
- भारतीय वेंडरों के माध्यम से दोनों आरटीपीएस यूनिटों की पूरी ओवरहालिंग की गई है और वर्तमान में पूर्ण लोड पर चल रही है।
- व्यापक रखरखाव कार्य के माध्यम से ऐश हैंडलिंग प्लांट (एचपी) के प्रदर्शन में सुधार किया गया है।

(घ) : भारत सरकार, दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 47 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के माध्यम से दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) की वैधानिक लेखा-परीक्षा करती है। इसमें वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशियों एवं प्रकटीकरणों के पक्ष में उपलब्ध साक्ष्यों की जाँच होती है। इसके साथ-साथ प्रबंधन (डीवीसी) द्वारा अपनाए गए लेखांकन सिद्धांतों तथा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन और वित्तीय विवरणों के समय प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, डीवीसी दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक योजनाओं के माध्यम से कमी वाले क्षेत्रों का समाधान करने के लिए अपने तापविद्युत संयंत्रों की तकनीकी लेखा-परीक्षा भी करता है।

\*\*\*\*\*



भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-3126  
दिनांक 18 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

एनटीपीसी में परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विकास

†3126. श्री जय प्रकाश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी ताप विद्युत कंपनी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन भविष्य में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 2032 तक 150 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अलग-अलग राज्यों में परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री  
(श्री श्रीपाद नाईक)

एनटीपीसी लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है जो अपने ऊर्जा पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए विभिन्न राज्यों में न्यूक्लियर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास की संभावना सहित विभिन्न विकल्प तलाश रहा है। वर्तमान में, एनटीपीसी और एनपीसीआईएल के संयुक्त उद्यम (जेवी) अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड (अश्विनी) द्वारा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना (एमबीआरएपीपी), 4×700 मेगावाट की स्थापना की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 25.09.2025 को इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था। इसके अतिरिक्त, न्यूक्लियर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करने के लिए आवश्यक स्वीकृतियाँ प्राप्त करने के उपरांत कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 07.01.2025 को एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी- एनटीपीसी परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीयूएनएल) का गठन किया गया था।

कुल मिलाकर, वर्तमान में एनटीपीसी लिमिटेड की संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 84.92 गीगावाट है तथा वर्ष 2032 तक तापविद्युत, जलविद्युत, नवीकरणीय, न्यूक्लियर जैसे विविध स्रोतों से 149 गीगावाट संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-3130  
दिनांक 18 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

बिजली उत्पादन कंपनियों का बकाया

3130. श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में बिजली उत्पादन कंपनियों (जेनको) का बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर कुल कितना बकाया है; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री  
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) एवं (ख) : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 3 जून 2022 को विद्युत (विलंबित भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 (एलपीएस नियम, 2022) को अधिसूचित किया। नियमों में प्रावधान किया गया है कि दिनांक 3 जून 2022 को उत्पादन कंपनियों (स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं), अंतर-राज्य पारेषण लाइसेंसधारियों और ट्रेडिंग लाइसेंसधारियों के विलंब भुगतान अधिभार सहित सभी बकाया राशि, को पुरानी बकाया राशि माना जाएगा और एलपीएस नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में समान मासिक किस्तों (ईएमआई) में वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा भुगतान के लिए पुनः निर्धारित देय तिथियों के साथ पुनर्निर्धारित किया जाएगा। तदनुसार, 13 राज्यों ने ईएमआई तंत्र के तहत दिनांक 03.06.2022 तक 1,39,947 करोड़ रुपये की बकाया राशि को पुनर्निर्धारित करने का विकल्प चुना।

एलपीएस नियम वर्तमान बकाया राशि के समयबद्ध निपटान के लिए एक रूपरेखा भी निर्धारित करते हैं और वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा लगातार भुगतान चूक की स्थिति में पहुंच का उत्तरोत्तर विनियमन करते हैं।

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत, वित्तीय सहायता के लिए डिस्कॉम की पात्रता का आकलन करने के लिए एलपीएस नियमों का अनुपालन पूर्व-अर्हता मानदंड के रूप में निर्धारित किया गया है।

इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय ने राज्य डिस्कॉम, ट्रांसको और जेनको के ऋण स्वीकृत करने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड प्रस्तुत किए हैं, जिसके तहत निर्दिष्ट शर्तों के निमित्त निष्पादन पर ऋण दिया जाता है। एलपीएस नियमों का अनुपालन इन विवेकपूर्ण मानदंडों के तहत एक मुख्य शर्त है।

इन उपायों के परिणामस्वरूप कुछ यूटिलिटी द्वारा पुरानी बकाया राशि के पूर्व-भुगतान सहित एलपीएस नियमों के अनुसार वितरण यूटिलिटी द्वारा 41 ईएमआई के भुगतान के बाद, दिनांक 09.12.2025 तक लंबित बकाया राशियां घटकर ₹5,747 करोड़ हो गयी हैं। डिस्कॉम भी नियमों के तहत कार्रवाई से बचने के लिए समय पर अपने वर्तमान बकाया राशियों का भुगतान कर रहे हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3182  
दिनांक 18 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

बीबीएमबी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व

3182. श्रीमती संजना जाटव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान, जो रावी ब्यास नदियों के जल बंटवारे में एक प्रमुख भागीदार राज्य है, को पिछली बैठकों में किए गए समझौतों और लिए गए निर्णयों के अनुसार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) राजस्थान से पूर्णकालिक सदस्य के लिए किसी अतिरिक्त पद के सृजित करने सहित राजस्थान को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सरकार और बीबीएमबी द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या वर्तमान में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में मुख्यतः संयुक्त पंजाब (जैसा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 में परिभाषित है) के उत्तराधिकारी राज्यों के अधिकारी शामिल हैं तथा राजस्थान का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है;

(घ) यदि हाँ, तो बीबीएमबी में मुख्य पदों पर राजस्थान के अधिकारियों को शामिल करने के लिए क्या उपाय सुझाए गए हैं और उनकी नियुक्ति की समय-सीमा और प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो राजस्थान से प्रतिनिधित्व कब तक सुनिश्चित होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ङ) : बीबीएमबी में पदों का आबंटन सहयोगी राज्यों के बीच उनके मध्य दिनांक 29.11.1988 को हुए अंतरिम व्यवस्था के अनुसार निर्धारित अनुपात में किया गया है। जुलाई 2025 तक की स्थिति के अनुसार, राजस्थान राज्य के पास बीबीएमबी की समग्र स्वीकृत संख्या में 518 पदों (समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों सहित) का स्वीकृत हिस्सा है। हालांकि, केवल 164 पद भरे गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप राजस्थान के स्वीकृत हिस्से में 354 रिक्तियां हैं।

इसके अलावा, सचिव, विशेष सचिव, निदेशक (रक्षा, सुरक्षा और परामर्श) और निदेशक (मानव संसाधन विकास) के पदों पर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान राज्य के एक-एक अधिकारी तैनात हैं।

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 79(2)(ख) के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्यों की सरकारों का संबंधित सरकारों द्वारा नामित एक-एक प्रतिनिधि शामिल है। इस प्रकार, बोर्ड में प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व है। इसके अलावा, बीबीएमबी के भागीदार राज्यों के प्रतिनिधित्व को समायोजित करने के लिए, उनके अनुरोध के अनुसार, बीबीएमबी में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या को मौजूदा 2 से बढ़ाकर 4 करने के लिए पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 79(2)(क) में संशोधन का प्रस्ताव शुरू किया गया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3184  
दिनांक 18 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय ग्रिड को बिजली आपूर्ति

†3184. श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है तथा जीवाश्म ईंधन और गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों का संबंधित हिस्सा दर्शाने वाले वर्तमान उपलब्ध आंकड़े क्या हैं;

(ख) इस स्थापित क्षमता का वह हिस्सा जो वर्तमान में उत्पादन के लिए तैयार है और राष्ट्रीय ग्रिड को विद्युत की आपूर्ति करने में सक्षम है तथा ग्रिड-तैयारी निर्धारित करने के लिए उपयोग में लाये जाने वाले मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या पारेषण अवसंरचना की अनुपलब्धता अथवा अपर्याप्तता के कारण संस्थापित उत्पादन क्षमता की मात्रा का अप्रयुक्त अथवा कम उपयोग किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश के सभी क्षेत्रों में समय पर निकासी, ग्रिड एकीकरण और विद्युत के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पारेषण अवसंरचना को पूरा करने हेतु प्रस्तावित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) एवं (ख) : देश में कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 5,05,023 मेगावाट है जिसमें जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 2,45,600 मेगावाट और गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 2,59,423 मेगावाट शामिल है। ग्रिड से जुड़ी हुई और उत्पादन के लिए तैयार संस्थापित क्षमता को प्रयोज्य तकनीकी मानकों के अनुसरण में कमीशन किया गया है। यह मौजूदा प्रणाली स्थितियों के अध्यधीन राष्ट्रीय ग्रिड में विद्युत इंजेक्ट करने में सक्षम है। अप्रैल, 2025 से अक्टूबर, 2025 की अवधि के दौरान विभिन्न स्रोतों से उत्पादित विद्युत का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

श्रेणी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)	कुल संस्थापित क्षमता में % हिस्सा	उत्पादित विद्युत (अप्रैल, 2025 से अक्टूबर, 2025) (एमयू में)	कुल उत्पादन में % हिस्सा
जीवाश्म ईंधन	2,45,600	48.6%	7,52,583	68.2%
गैर-जीवाश्म ईंधन	2,59,423	51.4%	3,51,405	31.8%
कुल	5,05,023	100%	11,03,988	100%

(ग) : राष्ट्रीय पारेषण ग्रिड बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) सहित उत्पादन क्षमता को एकीकृत करने में मददगार है। अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली(आईएसटीएस) के लिए प्रभावी सामान्य नेटवर्क पहुंच (जीएनए) के साथ उत्पादन क्षमता में कोई कटौती नहीं की गई है। हालांकि, वर्तमान में, विभिन्न समय ब्लॉकों में तकनीकी और प्रचालनात्मक बाधाओं के अध्यधीन मौजूदा आईएसटीएस पर उपलब्ध मार्जिन के माध्यम से 12,407 मेगावाट विद्युत की निकासी के लिए अस्थायी जीएनए प्रदान किया गया है। इसमें से 5,370 मेगावाट गुजरात में, 4,088 मेगावाट राजस्थान में, और 2,949 मेगावाट कर्नाटक/तमिलनाडु में अवस्थित है।

(घ) : उत्पादन परियोजनाओं से संबंधित पारेषण प्रणालियों को अग्रिम रूप से नियोजित किया जाता है और अनुमानित क्षमता वृद्धि के साथ संरेखित इन प्रणालियों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रिड को समय पर विद्युत निकासी, ग्रिड एकीकरण और सभी क्षेत्रों में विद्युत का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निरंतर आधार पर मजबूत किया जा रहा है। वर्तमान में, 234 अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली परियोजनाएं, जो लगभग 203 गीगावाट उत्पादन क्षमता की निकासी करने में सक्षम हैं, कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और वर्ष 2031 तक उत्तरोत्तर शुरू करने की योजना है।

\*\*\*\*\*